

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर-302005 ई-मेल-add4ng@gmail.com दुरभाष संख्या-0141-2222683

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-बीकानेर/अनुमति/2024/177

दिनांक :- 04/06/2024

-: आदेश :-

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वर्ष 2022-23 के बैच से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण करने की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है।

क्र. स.	कार्मिका का नाम	आवंटन की कटेगरी	पद स्थापन स्थान	राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि	सत्र
1	राजबाला, एएनएम	OBC-In-Service	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी-नोहर, हनुमानगढ़	13.01.2016	जीएनएम वर्ष 2022-23
2	शारदा, एएनएम	Gen-In-Service	उप स्वास्थ्य केन्द्र-डबलीकला, खण्ड- टिब्बी, हनुमानगढ़	28.11.2016	जीएनएम वर्ष 2022-23

शर्त:-

- राज्य सेवा में कोई व्यवधान नहीं होगा।
- राज्य सरकार / विभाग द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
- परीक्षा कोर्स में उत्तीर्ण होने के पश्चात किसी प्रकार की पदोन्नति एवं वित्तीय भार की मांग नहीं करेंगे।
- परीक्षा दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
- परीक्षा की तैयारी हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा।
- नियमित कक्षा हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा।
- राज्य हित में उक्त स्वीकृति को कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।
- उक्त कार्मिक यदि संविदा/अनुबन्ध पर कार्यरत है तो उस पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
- उक्त में से जिन कार्मिकों का चयन विभागीय कोटे (Inservice) में नहीं हुआ है उन्हें नियमानुसार अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर
दिनांक :- 04/06/2024

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-बीकानेर/अनुमति/2024/177

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-बीकानेर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़।
- संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
- संबंधित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को सूचनार्थ।
- प्रभारी सर्वर रूम उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर ई-मेल करे।
- आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर